कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-360/2023 दिनांक-10.11.2023

प्रेस- नोट

थाना- कप्तानगंज

चोरी गये गये सामान के साथ एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना/इतिहास– दिनांक 09.11.2023 को वादी मुकदमा संजीव कुमार सिंह पुत्र रामअचल सिंह साकिन- भरौली टोडर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया कि दिनांक- 08.11.2023 को समय करीब- 06.00 बजे शाम को नामजद लोगो द्वारा वादी के घर में घुसकर घर मे रखा कुछ सामान व 4500 रूपया नगद चोरी करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 296/23 धारा 457/380 IPC पंजीकृत हुआ। जिसकी विवचना उ0नि0 जितेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही है। उक्त उ0नि0 के अवकाश पर होने के कारण अभियोग उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 वंशराज सिंह द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– आज दिनांक 10.11.2023 को उ0नि0 वंशराज सिंह मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को ग्राम चुमकुनी से नियमानुसार समय करीब 08.40 बजे संरक्षण में लिया गया। व बाल अपचारी के कब्जे से एक अदद डायरी, एक अदद छाता, एक अदद कैमरा, व नगद 550 रूपये बरामद हुआ।

पंजीकृत अपराध- मु0अ0सं0 296/23 धारा 457/380/411 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 1. एक अदद छोटी डायरी वादी मुकदमा की, 2. एक अदद छाता रंग काला
3. एक अदद कैमरा KODAK FILM, 4. 550 रूपये नगद चोरी का

थाना- मेंहनाजपुर

जमीनी विवाद में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या के मामले में PCR पर आये अभियुक्त के निशान देही पर 01 पिस्टल बरामद।

पूर्व की घटना:-

दिनांक-13.10.2023 को वादी मुकदमा अखिलेश जायसवाल पुत्र स्व0 भृगुनाथ जायसवाल निवासी ग्राम बरेहता पोस्ट खिदुरगंज थाना सादात जनपद गाजीपुर द्वारा तहरीर दिया गया कि प्रार्थी का जमीनी विवाद योगेश यादव पुत्र रामजी यादव व रामकिशुन यादव उर्फ गब्बू यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम रामपुर जमीन पाल्हन, थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ से चल रहा था जिसके चलते इनके द्वारा हमारे बड़े भाई पिन्टू जायसवाल पुत्र स्व0 भृगुनाथ जायसवाल को लालमऊ वन के पास विपक्षी योगेश यादव पुत्र रामजी यादव व रामकिशुन यादव उर्फ गब्बू यादव पुत्र रामजी यादव ने मोटरसाइकिल से आकर गोली मारकर हत्या कर दिया।

वादी की तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 217/23 धारा 302 भादवि बनाम योगेश यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम रामपुर जमीन पाल्हन थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ 2- रामकिशुन यादव उर्फ गब्बू यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम रामपुर जमीन पाल्हन थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया।

पूर्व की कार्यवाही:-

➡ **इसी क्रम में दिनांक 14.10.2023 को हत्यारोपित अभियुक्तो योगेश व राम किशुन के द्वारा ग्राम रामपुर जमीन पाल्हन स्थित सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाये गये मकान के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पुलिस व राजस्व टीम की मौजूदगी में सम्पन्न करायी गयी।**

➡ मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए 03 अभियुक्त 1.सुधीर यादव पुत्र स्व0 दयाराम यादव निवासी भद्रशेन थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर 3. अभियुक्ता प्रियंका यादव पत्नी योगेश यादव निवासी रामपुर जमीन पाल्हन थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ 4.नीरज यादव उर्फ बबलू पुत्र लल्लन यादव निवासी तियरा नेवादा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर आये है।

➡जिसमें 04 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष एक अभियुक्त सुधीर यादव फरार चल रहा है।

➡दिनांक 10.11.2023 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा मय हमराह के माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में अभियुक्त योगेश यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम रामपुर जमीन पाल्हन थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया जो कि दिनांक 02.11.23 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। अभियुक्त योगेश यादव के बताए रास्ते के अनुसार चलते हुए घटना स्थल पर पहुँचे कि अभियुक्त योगेश यादव द्वारा गाड़ी से उतरकर आगे आगे चलकर लाल मऊ बन के जंगलो की झाडियो मे छिपाकर रखा हुआ एक अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर निकालकर दिया गया। बाद बरामदगी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 217/2023 धारा 302/34/120 बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास :- मुकदमा उपरोक्त

पीसीआर पर आये अभियुक्त :- योगेश यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम रामपुर जमीन पाल्हन थाना मेंहनाजपुर आजमगढ

बरामदगी- एक अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर

पुलिस टीम :- थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार मिश्रा मय हमराह थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी

धोखाधड़ी से महिला के आभूषण लेकर फरार होने वाला आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 07.11.2023 को श्रीमती रीता राय पत्नी रविन्द्र राय साकिन पुरन्दरपुर थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा तहरीर दिमा गया कि आज समय लगभग 12 बजे वादिनी का नरौली प्राईवेट स्टैन्ड (जजी मैदान) पर उतरकर पैदल नरौली तिराहा पहंचे ही थे कि रास्ते मे दो अज्ञात व्यक्ति पास आकर कहने लगा कि माता जी आप जो गले में चैन पहनी है उसको दे दीजिए इसके बदले में हम आप को अच्छी चैन देगें। उपरोक्त के झांसे में आकर वादिनी द्वारा अपना चैन उतारकर व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया। जिस पर अभियुक्त भाग गए। जिसपर मु0अ0सं0 429/2023 धारा 420 भादवि बनाम दो अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 10.11.2023 को उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राधेश्याम सेठ पुत्र फूलचन्द सोनार निवासी भीलमपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर हाल पता उर्दु बाजार थाना -कोतवाली जनपद जौनपुर को विश्वकर्मा तिराहा सिधारी से समय 12.20 AM पर गिरफ्तार किया गया ।

जिसके निशादेही पर नरौली तिराहे के पास ठेलिया के नीचे से एक पीली धातु की गले की चैन बरामद किया गया ।

जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी ।

पूछताछ विवरण:-

राधेश्याम सेठ पुत्र फूलचन्द सोनार निवासी भीलमपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर हाल पता उर्दु बाजार थाना -कोतवाली जनपद जौनपुर उम्र करीब 60 वर्ष पूछने पर बताया कि दिनांक 07/11/2023 को नरौली पुल के पास दिन में करीब 12 बजे मैं और मेरा साथी हरिश्चन्द्र पुत्र रामानंद निवासी मछलीशहर थाना- मछलीशहर जनपद -जौनपुर ने मिलकर एक महिला की सोने की गले की चैन देने के नाम पर महिला से चैन ले लिया गया था और उस महिला को नकली चैन दे दिया गया था तब तक वहां कई लोग आ गये मेरे साथी हरिश्चन्द्र को पकड़ लिए तो हरिश्चन्द्र ने चैन नीचे गिरा दिया था जिसे मैने जमीन से उठा लिया था लेकिन कुछ लोग मुझे भी पकड़ना चाहे तो मै वह चैन एक ठेलिया के नीचे रख कर वहां से भाग गया था । साहब मैं और मेरा साथी भोली- भाली औरते व आदमियो को बहला-फुसलाकर उनका सोने का असली जेवरात लेकर नकली दे देते है और असली जेवरात को बेचकर हम लोग अपना जीविकोपार्जन करते है ।

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 0429/2023 धारा 420/411 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0- 648/2005 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर

2.मु0अ0सं0- 395/2011 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

3.मु0अ0सं0- 158/2022 धारा 406/411 भादवि थाना शाहगढ़ जनपद जौनपुर

4.मु0अ0सं0- 429/2023 धारा 420/411 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

नाम पता अभियुक्त-राधेश्याम सेठ पुत्र फूलचन्द सोनार निवासी भीलमपुर थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर हाल पता उर्दु बाजार थाना -कोतवाली जनपद जौनपुर उम्र करीब 60 वर्ष

बरामदगी- 01 पीली धातु की चेन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- बरदह

मारपीट व छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– वादी मुकदमा थाना बरदह जिला आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि विजय शंकर राय से मेरा खिड़की-रोशन दान को लेकर विवाद है । दिनांक 3-11-23 को सुबह अभियुक्त 1. विजय शंकर राय, 2. अद्याशंकर राय , 3. उमाशंकर राय पुत्रगण स्व0 राम अधार राय और 4. नितिन राय पुत्र उमाशंकर राय निवासीगण ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ सभी लोग गाली देते हुये घर मे घुसकर वादी और उसके पिता जी को मारने लगे । फिर दोनो को घसीटकर मारते हुये अपने घर में ले जाने लगे बीच बचाव करने आई पड़ोस की रहने वाली मां व बेटी को भी मारकर घायल कर दिये तथा उनके कपड़े भी फाड दिये, वादिनी व उसके पिता को अपने घर में ले जाकर कमरे में बन्द कर दिये जहां पर असलहा दिखाकर हमे जान से मारने की कोशिश की गई कि उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 454/23 धारा 364,323,504,506,354ख,342, भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

➡दौरान विवेचना उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर धारा 452/120बी भादवि की बढोत्तरी की गयी व वादी के बयान के आधार पर अभियुक्त विपिन कुमार राय पुत्र अलरख राय साकिन मनरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश में आया ।

➡दिनांक 04/11/23 को अभियुक्त विजय शंकर राय उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– आज दिनांक 10.11.23 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विपिन कुमार उपरोक्त को बरदह तिराहा से समय 15.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- विपिन कुमार राय पुत्र अलरख राय साकिन मनरा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 454/23 धारा 364,323,504,506,354ख,342,452/120बी भादवि थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 कमला सिंह यादव मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़